न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/80 **दायरा दिनांक : 10.06.2024**

उनवान

1. रामहेतार पुत्र श्री रामनारायण
2. गिरिराज पुत्र श्री फूंदीलाल
3. जगदीश पुत्र श्री फूंदीलाल
4. द्वारकी बाई पुत्री श्री रामनारायण
5. प्रहलाद पुत्र श्री बिरधीलाल
6. बाबूलाल पुत्र श्री रामनारायण
7. रामप्रसाद पुत्र श्री रामनारायण
8. रामभरोस पुत्र श्री नन्दकिशोर
9. रामस्वरूप पुत्र श्री बिरधीलाल
10. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री बद्रीलाल
11. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री केदारलाल

जाति धाकड, निवासीगण ग्राम फूंगाहेडी, पोस्ट मरायता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज श्री चम्पालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम फूंगाहेडी, पोस्ट मरायता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान) (आवश्यक पक्षकार)
2. कान्ति बाई पुत्री श्री बिरधीलाल
3. यशोदा बाई पुत्री श्री बिरधीलाल
4. राजन्ती बाई पुत्री श्री बिरधीलाल
5. सुमित्रा बाई पुत्री श्री नन्दकिशोर
6. सीता बाई पुत्री श्री नन्दकिशोर
7. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोलाना, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
8. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
9. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ़, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान)
11. जानकी बाई पत्नी बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी फूंगाहेडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राजस्थान) (फोरमल पक्षकार) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 17.02.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 444/प्रार्थना पत्र/2020 निर्णय दिनांक 28.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर की आराजी खाता संख्या नया 83 पुराना 81 की खसरा नम्बर 179 की 0.2914 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.0890 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 की 0.2752 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 की 1.5702 हेक्टर, खसरा नम्बर 231 की 1.4973 हेक्टर, खसरा नम्बर 240 की 0.3966 हेक्टर, खसरा नम्बर 241 की 0.1781 हेक्टर, खसरा नम्बर 266 की 0.1862 हेक्टर कुल 8 किता की 4.4840 हेक्टर आराजी स्थित है व वाके ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर की खाता संख्या 71 की खसरा नं. 272 की 6.4750 हेक्टर आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.05.2024 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उपधारा (1) अभिधृति 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी पूर्वक तहसीलदार खानपुर द्वारा तैयार करवायी गई मौके की गलत व गैर कानूनी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 272 में जो रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है, वह अवैध व गैर कानूनी है। चूंकि खसरा नम्बर 266 व 261, 262, 263, 258, 256 रेस्पोडेंट नम्बर 1 के भाई बंधुओं के खाते की भूमि है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि एक ही परिवार की भूमि रही है और पूर्व में उक्त सम्पूर्ण भूमि पर खसरा नम्बर 233 से 256 में होकर खसरा नम्बर 266, 261, 262, 263, 258 की भूमि पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 का परिवार कृषि कार्य हेतु आता जाता रहा है और काश्त करता रहा है। परन्तु बाद में परिवार में विभाजन हुआ और विभाजन के अनुसार अलग अलग खसरा नम्बरान कायम कर दिये गये और खसरा नम्बर 266 रेस्पोडेंट नम्बर 1 को प्राप्त हुआ और रेस्पोडेंट नम्बर 1 अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 266 पर प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 256 की भूमि पर होकर खसरा नम्बर 258, 263 व 262 तथा 259 के मध्य की मेड पर होकर आता जाता रहा है और कृषि कार्य करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने बदनियती से अपने भाई बंधुओं व परिवार के सदस्यों की भूमि पर चले आ रहे रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम नहीं करवाकर अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 272 पर रास्ते की मांग की है जबकि खसरा नम्बर 272 पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 या अन्य किसी भी व्यक्ति का रास्ता नहीं रहा है और रास्ता हो भी नहीं सकता था। चूंकि खसरा नम्बर 272 की भूमि व खसरा नम्बर 260 व 259 की भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की इकजाई भूमि है। इसके बावजूद भी तहसीलदार खानपुर के द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में मौके की रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करते हुए अपीलांट्स के खसरा नम्बर 272 की भूमि पर रास्ता कायम कर दिया गया और अपीलांट्स की भूमि को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कानून की मंशा के विरूद्ध जाकर अवैध व गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध आदेश पारित किया है। धारा 251–ए में सिद्धांतों को प्रतिपादित किया हुआ है कि जहां पर वैकल्पिक रास्ता न हो और रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता हो उस स्थिति में तहसीलदार से दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 67 से 71 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करवायी जानी चाहिए, परन्तु तहसीलदार खानपुर द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 के साथ मिलीभगत कर अपीलांट्स को सूचना दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की है जबकि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की थी कि खसरा नम्बर 266 पर आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 256 से होकर 258, 263 व 262 से होते हुये खसरा नम्बर 259 व 261 के मध्य मेड़ पर होकर रहा है। वास्तविकता में इन सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि एक ही परिवार की भूमि रही है। विभाजन के बाद भूमि को टुकडों में विभक्त किया है। सर्वप्रथम इन खसरा नम्बरान पर खसरा नम्बर 233 से 256 पर होकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था और अपीलांट्स की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी। परंतु उनकी अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई है इसीलिये उनके हस्ताक्षर रिपोर्ट पर नहीं हुये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251–क के प्रावधानों व नियमों के विरूद्ध जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स खसरा नम्बर 259, 260, 272 के खातेदार मालिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 272 की पश्चिमी मेड़ पर 12 फीट का रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट्स के खेत को दो भागों में विभाजित कर दिया है, जिसके कारण अपीलांट्स को काश्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अपीलांट्स की फसल को जानवर नष्ट कर देगे और कानून की यह मंशा नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता कायम ही करना था तो खसरा नम्बर 259 व 261 की पश्चिमी मेड व खसरा नम्बर 258, 263 व 262 की पूर्वी मेड़ पर कायम करना चाहिये था और इस रास्ते में भी अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 259 स्थित है, परंतु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने पटवारी व कानूनगों से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 272 पर रास्ते का प्रस्ताव मौके की रिपोर्ट में बता दिया गया जबकि खसरा नम्बर 259 की भूमि भी अपीलांट्स की भूमि है और इस भूमि पर रास्ता कायम किये जाने में अपीलांट्स को कोई आपत्ति भी नहीं थी क्योंकि उक्त स्थान पर रास्ता कायम होने से प्रार्थी की भूमि दो भागों में विभाजित नहीं होती और एक तरफ रास्ता कायम हो जाता। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व गैर कानूनी तरीके से तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 233 से 256 में होकर खसरा नम्बर 258, 263, 262, 259, 261 के मध्य मेड़ पर चला आ रहा है। इस प्रकार कानूनन वैकल्पिक रास्ते की स्थिति में नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। चूंकि वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेन्ट के पास मौजूद है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता भी नहीं है। इन तत्परिस्थितियों में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करते हुये उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है। चूंकि दौराने वाद भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल प्रतिवादी नम्बर 10 की मृत्यु आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है और इसी प्रकार जानकी बाई पत्नी फूंदीलाल की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो चुकी है और अप्रार्थी नम्बर 6 व 10 की मृत्यु की जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को प्रारम्भ से ही रही है। चूंकि दोनों ही पक्षकारान एक ही गांव के निवासी है इसलिये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र के लम्बित होने के दौरान उनकी मृत्यु की जानकारी रही है। इसके बावजूद भी उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है और मृत व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित करवाया गया है, जो कानूनन अवैध व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स शांतिप्रिय व्यक्ति है और परिवार के साथ कृषि काश्त करते हुये जीवन यापन करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक ही गांव के होने से प्रार्थी से रंजिश रखता चला आ रहा है और इसी रंजिश के दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य के तहत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने परिवार के सदस्यों की भूमि को बचाने के उद्देश्य से दुर्भावना के तहत अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 272 पर रास्ता कायम कराया है जो अवैध व गैर कानूनी है। चूंकि खसरा नम्बर 272 व खसरा नम्बर 260, 259 अपीलांट्स की भूमि है और जो इकजाई रूप से स्थित चली आ रही है, जिस पर कोई मेड़ इत्यादि नहीं है, परंतु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 272 में पूरब की ओर रास्ता कायम करवाकर अपीलांट्स को क्षति पहुंचाने का कृत्य किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2024 में यह फाईण्डिंग दी है कि अपीलांट्स अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता है। यह फाईण्डिंग अवैध व गैर कानूनी है और रिकॉर्ड के विरूद्ध है। अपीलांट्स ने जवाब में वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 233 से चलकर खसरा नम्बर 256 से खसरा नम्बर 258 व 262, 263 व 259 के दरमियान होना बताया है और इस सम्बन्ध में तीन गवाहों के शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं और यह भी प्रमाणित था कि इन खसरा नम्बरान की भूमि रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्यों की भूमि है इसीलिये दुर्भावना से पूर्व में चले आ रहे रास्ते की बजाय नवीन रास्ते की मांग रेस्पोडेन्ट ने की है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत फाईण्डिंग देते हुये आक्षेपित आदेश दिनांक 28.05.2024 पारित किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि यह धारा 251–ए की अपील है जो अधीनस्थ न्यायालय में सत्यनारायण ने पेश की थी। खसरा नम्बर 266 बताया, खसरा नम्बर 272 की पश्चिमी मेड से होकर मुझे रास्ता दिया जाये। अपीलांट प्रतिवादी ने इसका जवाब देकर कहा इसका रास्ता खसरा नम्बर 272 से कभी भी नहीं रहा है। इसका रास्ता खसरा नम्बर 233 से चलकर 256 से 258, 263, 262 से होकर 266 में पहुंचता है। यह सम्पूर्ण भूमि एक खातेदार की थी बंटवारे के बाद ये खसरे भाइयों को प्राप्त हुए इसी वजह से इन खसरे से होकर जाता रहा है। मौके की रिपोर्ट पर हमें सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। राजस्व मण्डल ने रिपोर्ट के लिए परफॉर्मा जारी किया है जो हम पेश कर रहे हैं। निर्धारित परफॉर्मा में रिपोर्ट नहीं है, हमारे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हस्ताक्षर नहीं हैं, नोटिस जारी नहीं हुए। हल्का पटवारी की रिपोर्ट है। पटवारी की रिपोर्ट मौके पर जाकर बनाई जिसके आधार पर तहसीलदार कार्यालय में पुनः रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है जो गलत है। मेड के दोनों तरफ रास्ता नहीं देकर सम्पूर्ण रास्ता केवल हमारी आराजी से ही दिया है जो निरस्त किया जाए। दावे में जानकीबाई प्रतिवादी नं. 5 है जिसकी मृत्यु दिनांक 23.09.2022 को हो गई है व अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 28.05.2024 को पारित किया है जिसमें कायम मुकामान रिकार्ड पर नहीं लिये और मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है। भंवरलाल की दिनांक 19.09.2021 को मृत्यु हुई है जिसके भी कायम मुकामान नहीं बनाये गये और मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 68 से 71 की पालना नहीं की है। अतः अपील स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2022(1) आर.आर. टी. पेज 693, 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1281, 2016–17 आर.आर.टी. पेज 597 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में हम सुविधा के आधार पर रास्ता नहीं ले रहे हैं वरन वादग्रस्त आराजी पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। रामहेत अपीलांट ने तार लगाकर रास्ता अवरूद्ध किया इसी कारण केवल उसकी आराजी में से रास्ता दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम फूंगाहेडी, तहसील खानपुर की खाता संख्या 83 की खसरा नम्बर 266 रकबा 0.1862 हेक्टर आराजी पर कृषि कार्य हेतु टेक्ट्रर एवं कृषि यंत्र ले जाने हेतु खसरा नम्बर 272 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे 12 फिट चौडाई के रास्ते में आने वाली आराजी को नियमानुसार प्रतिफल राशि जमा करवाकर रास्ते के उपयोग में आने वाली आराजी को रास्ते के रूप में दर्ज कर तद्नुसार नक्शाट्रेस में तरमीम की जावे यह प्रार्थना की।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये। अप्रार्थी कम 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी कम 1, 4, 7, 9, 13 व 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपत्तियां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.01.2024 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खानपुर को डी.एल.सी. की दोगुनी राशि प्रार्थी से जमा कराकर अप्रार्थीगण के खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 272 रकबा 6.4750 हेक्टर में से 712 वर्ग मीटर यानि 0.0712 हेक्टर आराजी सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 266 रकबा 0.1862 हेक्टर की आराजी में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने की कार्यवाही सुनिश्चित यकरने हेतु आदेशित किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 खसरा नम्बर 266 पर खसरा नम्बर 233 से चलकर खसरा नम्बर 256 से चलता हुआ खसरा नम्बर 258, 263, 262 व 259 की दरमियानी मेड से अपने खेत पर आता जाता है और कृषि यंत्र आदि ले जाकर काश्त कर रहा है। इस प्रकार उसके पास आने जाने का रास्ता वैकल्पिक रूप से पूर्व से ही चला आ रहा है। खसरा नम्बर 272 की पश्चिमी मेड़ के सहारे कभी भी रेस्पोडेंट कम 1 का रास्ता नहीं रहा क्योंकि खसरा नम्बर 272 व 260, 259 अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है परन्तु अपीलांट द्वारा वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.01.2024 को मय नजरी नक्शा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एक्जीविट पी 11 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खातेदार सत्यनारायण पुत्र चम्पालाल के खाते की आराजी खसरा नम्बर 266 पर पहुंचने हेतु मार्ग की उपलब्धता नहीं है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न एक अन्य मौका रिपोर्ट एक्जीविट पी 10 जो पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा प्रस्तुत की गई है में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 233 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो खसरा नम्बर 260 पर जाकर समाप्त हो जाता है। जिसके बाद खसरा नम्बर 266 तक पहुंचने के लिये खातेदारों के खेतों में से होकर जाना पड़ता है। प्रार्थी खसरा नम्बर 260, 261 व 272 के मध्य मेड़ से होकर जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक्जीविट पी 8 के रूप में अन्य मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 10.07.2021 की छाया प्रति सलंग्न है, इस मौका रिपोर्ट में भी सही अंकित है कि ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार खसरा नम्बर 266 तक पहुंचने हेतु खातेदार खसरा नम्बर 260, 261 व 272 के मध्य मेड़ से होकर निकलते आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उक्त समस्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 233 गैर मुमकिन रास्ता जो खसरा नम्बर 260 पर जाकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद खसरा नम्बर 266 पर खातेदार सत्यनारायण पुत्र चम्पालाल खसरा नम्बर 260, 261 व 272 की मेड़ से होकर कृषि कार्य हेतु पहुंचते आया है। खसरा नम्बर 260, 272 अप्रार्थीगण के ही खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उक्त सभी मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता नहीं दर्शाई गई है एवं अपीलांट द्वारा भी वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः खसरा नम्बर 266 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग की अनुपलब्धता स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा